

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

संख्या-195/सी0ई0ओ0-2-23/2-2012

लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2012

सेवा में,
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 – फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-164/सी0ई0ओ0-2-23/2-2012, दिनांक 19-01-2012 का सन्दर्भ लें।

2- आयोग ने अपने संलग्न पत्र संख्या-464/INST/2011/EPS/799, दिनांक 20 जनवरी, 2011 में यह कहा है कि कुछ ऐसे मतदाता हो सकते हैं जो अपना फोटो पहचान पत्र और वोटर पर्ची खो दे अतः सभी मतदाताओं का मतदान का अवसर उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजन से आयोग ने यह निर्देश दिये हैं कि मतदाता वोटर पर्ची की एक अतिरिक्त प्रति मतदान केन्द्रों के बाहर स्थित मतदाता सुविधा बूथों पर रखी जायेगी जहाँ से वह मतदाता जिन्होंने अपनी मतदाता पर्ची और पहचान पत्र खो दिया है, मतदाता पर्ची की प्रति प्राप्त कर सकेंगे। जिन मतदाताओं को पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है वह आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान कर सकेंगे।

3- आयोग के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिलों में मुद्रित की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची की एक फोटो प्रति करा ली जाय और इस फोटो प्रति को मतदाता सुविधा बूथों पर आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन रखा जाय। मतदाता पर्ची के मुद्रण और उसके वितरण के लिये उपलब्ध होने वाले सीमित समय को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि मतदाता पर्ची के मुद्रण और फोटो स्टेट कराने का कार्य समानान्तर रूप से चलता रहे ताकि समयबद्धता सुनिश्चित करते हुये पर्चियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया आयोग के संलग्न निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन करते हुये इन निर्देशों को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

^{TMU 22-1-2012}
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या: 195 (1)/सी0ई0ओ0-2-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. श्री शैलेश श्रीवास्तव, प्रिन्सिपल सिस्टम एनालिस्ट, एनआईसी, लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

^{TMU}
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 464/INST/2011/EPS

799

Dated: - 20th January, 2012

To

The Chief Electoral Officer of

- | | | |
|------------------|---|-----------|
| 1. Goa | : | Panjim |
| 2. Manipur | : | Imphal |
| 3. Punjab | : | Chandigar |
| 4. Uttarakhand | : | Deharadun |
| 5. Uttar Pradesh | : | Lucknow |

Subject: - General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2012-Utilization of Voter's Slip as an alternate Voter ID - Instructions on Voter slips - regarding.

Sir,

1357/CEO/12
I am directed to invite your kind attention to the Commission's instructions No.464/INST/2011/EPS dated 18th February, 2011 and 19th March, 2011 regarding distribution of official Voters' Slips to the voters by District Administration, wherein the Commission directed that Voters' Slips including photograph of voters, where available in the photo roll, be distributed to all enrolled voters by District Administration.

21.1.12
2. The Commission has now directed that voters having EPIC and whose photo already appears in the photo roll can exercise his/her franchise either by producing EPIC or by Voters' Slip issued by District Administration. There may, however, be instances, that the voter might have misplaced EPIC and voter slip. Since the Commission's endeavor is not to deprive any voter from casting his vote, the Commission has directed that an additional copy of Voters' Slip would be kept at a facilitation booth out side the polling booth so that those voters who have misplaced their Voters' Slip and EPIC can collect it at the polling booth itself.

3. Only voters without EPIC may be allowed to exercise their franchise by producing any of the alternative documents as indicated by the Commission.

4. The Commission has further directed that type of identity documents, their serial number of the ID document and last four digit of Identity documents should be entered in Form-17A by the Presiding Officer.

5. The above instructions may be brought to the notice of the concerned authorities and should be given wide publicity.

995/2CEO/12
OSD (M)

(अधीनस्थ सी० मेस्राम)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विशेष सचिव निर्वाचन विभाग
आसन।

21/1

Yours faithfully

(SUMIT MUKHERJEE)
SECRETARY